ई-मेल द्वारा

एचओ/डॉस/डाक/2026/ 05615

07 सितम्बर, 2026

प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां

महोदया/महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निर्देश, 2026 - धोखाधड़ी निगरानी रिटर्न प्रस्तुत करने के संबंध में परामर्श

संदर्भ भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन) निर्देश, 2026 की और आकृष्ट किया जाता है, जिसमे यह निर्धारित किया गया है कि आवास वित्त कंपनियों को धोखाधड़ी की घटनाओं के साथ-साथ चोरी, सेंधमारी, डकैती और लूट की घटनाओं की रिपोर्ट राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को निर्धारित तरीके और प्रारूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2. इस संबंध में, यह निर्णय लिया गया है कि सभी आवास वित्त कंपनियां प्रत्येक धोखाधड़ी के मामले के संबंध में, राशि चाहे कितनी भी हो, घटना/ खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किए जाने के तुरंत बाद 'धोखाधड़ी निगरानी रिटर्न (एफएमआर), अर्थात एफएमआर-1 रिटर्न राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत करेगी। यह रिटर्न किसी भी स्थिति में ऐसे वर्गीकरण की तारीख से 14 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त, धोखाधड़ी के मामलों में बाद की गतिविधियों और प्रगति की जानकारी राष्ट्रीय आवास बैंक को एफएमआर-2 रिटर्न (*धोखाधड़ी के लंबित मामलों पर तिमाही रिपोर्ट*) और एफएमआर-3 रिटर्न (*धोखाधड़ी के मामलों पर केस-वार तिमाही प्रगति रिपोर्ट*) के रूप में क्रैमिस पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करनी होगी। एफएमआर-2 और एफएमआर-3 रिटर्न संबंधित तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर क्रैमिस पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. अगर आवास वित्त कंपनियों के समूह संस्थाओं को किसी वित्तीय क्षेत्र के नियामक/पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा विनियमित/पर्यवेक्षित नहीं किया जाता है, तो आवास वित्त कंपनियों को उन संस्थानो में हुई धोखाधड़ी की जानकारी भी राष्ट्रीय आवास बैंक को पृथक रूप से देनी होगी *(एफएमआर-1 ई-मेल के माध्यम से नोडल टीम/वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक को प्रस्तुत की जाएगी)*। तथापि, भारतीय आवास वित्त कंपनी की विदेशी वित्तीय समूह इकाई के मामले में, मूल आवास वित्त कंपनी को भी धोखाधड़ी की रिपोर्ट राष्ट्रीय आवास बैंक को करना आवश्यक होगा।

4. आवास वित्त कंपनियां चोरी, सेंधमारी, डकैती और लूट की घटनाओं की रिपोर्ट(प्रयास किए गए मामलों सहित) उनके घटित होने के तुरंत बाद *(सात दिनों से अधिक नहीं)*, राष्ट्रीय आवास बैंक के पर्यवेक्षण विभाग को ई-मेल के

माध्यम से निर्धारित 'बैंक लूट, डकैती, चोरी और सेंधमारी (आरबीआर) पर रिटर्न' प्रारूप (एफएमआर-4) में प्रस्तुत करेगी। प्रारूप आपके संदर्भ के लिए संलग्न है। चोरी, सेंधमारी, डकैती और लूट की घटनाओं को ऊपर निर्धारित समय-सीमा के अनुसार एफएमआर-1, एफएमआर-2 और एफएमआर-3 रिटर्न के माध्यम से क्रैमिस पोर्टल पर भी रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

5. असाधारण परिस्थितियों में आवास वित्त कंपनियों को एफएमआर वापस लेने अथवा एफएमआर से अपराधकर्ता/अपराधकर्ताओं का नाम हटाने की अनुमति दी जा सकेगी। ऐसे वापसी/नाम हटाने के लिए आवेदन उचित औचित्य के साथ और कम से कम निदेशक रैंक के एक अधिकारी के अनुमोदन के साथ राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आवास वित्त कंपनियां निर्देशों में उल्लिखित आवश्यकता के अनुपालन के अधीन नोडल टीम/वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक के माध्यम से धोखाधड़ी के मामलों को बंद करने के लिए आवेदन भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

6. आवास वित्त कंपनियां राष्ट्रीय आवास बैंक को रिटर्न प्रस्तुत करते समय उपरोक्त परामर्श में उल्लेखित विषय-वस्तु का सख्ती से अनुपालन करेंगी। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित आवास वित्त कंपनी राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगी।

भवदीय,

आर० के० अरविंद

उप महाप्रबंधक

पर्यवेक्षण विभाग

संलग्नक: (1) बैंक लूट, डकैती, चोरी और सेंधमारी से संबंधित एफएमआर-4 रिटर्न